राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कमोद कँवर बनाम नरेन्द्र सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 26/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
26/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणात्मक, दुरुस्ती रिकार्ड, एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि साबिक खसरा नंबर 460 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 461 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा स्थित ढाणी राघोजी तन बनेठी तहसील कोटपूतली के 1/2 की हिस्से की भूमि पूर्व खातेदार सोहन, श्योदान पुत्रान रामदेव गुर्जर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 17.06.1974 को वादी ने खरीद की थी। तब से मौके पर काबिज काश्त है। उक्त साबिक खसरा नंबरान से हाल खसरा नंबर 806/0.66, 806/2838/0.21 है. वाके मौजा रामनगर तहसील कोटपूतली बने है। वादी ने उक्त आराजी का विक्रय-पत्र पटवारी हल्का को दे दिया तथा पटवारी हल्का ने विक्रय-पत्र का अमन करते समय वादी का नाम नहीं चढाकर वादी के पिता का नाम भंवरसिंह चढा दिया। उसके बाद भंवरसिंह पुत्र श्योनारायण सिंह 75 वर्ष का था। उसके सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो गयी थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए वादी के भाई महेन्द्र सिंह ने अपने पिता के जरिये अपनी पत्नि कमोद कंवर के नाम विक्रय-पत्र दिनांक 04.10.2017 को करवा लिया। विक्रय-पत्र के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। प्रतिवादिया संख्या 1 ने अपने पति से मिलकर उपरोक्त गलत कार्यवाही की है। इस प्रकार उक्त विक्रय-पत्र प्रतिवादिया संख्या 1 के अधिकारों के विरूद्ध शुरू से शुन्य एवं बेअसर (नल एण्ड वाईड) है। वादी ने प्रतिवादिया को अनेको बार रिकॉर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु कहा। परन्तु साफ इन्कार कर दिया। इसलिए दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादपत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि आराजी खसरा नम्बर 806/0.66, 806/2838/0.21 हैक्टेयर वाके मौजा रामनगर तहसील कोटपूतली के हिस्से 1/2 की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर वादी का नाम दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कमोद कँवर बनाम नरेन्द्र सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गयी | तत्पश्चात अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांक 05/01/2022 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री फरमा दिया गया | जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन वाद घोषणा एवं दुरुस्ती रिकार्ड हेतु के अनुतोष हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ एवं विधि के प्रावधानों के अनुसार घोषणा एवं रिकार्ड दुरुस्ती के वाद को तनकीयात कायम कर साक्ष्य-सबूत प्राप्त कर तनकीवार साक्ष्य-सबूतों का विवेचन करते हुए निस्तारित किया जाना आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए वाद को ख़ारिज करने में प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की गयी है, जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05/01/2022 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद के निस्तारण हेतु आवश्यक तनकीयात कायम कर साक्ष्य-सबूत प्राप्त कर, तनकीवार साक्ष्य-सबूत का विस्तृत विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 26/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर